न्यायालय : प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.) (समक्ष : कमलेश इटावदिया)

व्यवहार अपील क्र. 66 / 2017 संस्थित दिनॉक 18.05.2017

रामाधार यादव पिता स्व. श्री प्यारे गौली, उम्र 61 वर्ष, निवासी ग्राम मोरडोंगरी पो. व थाना सारणी जिला बैतूल।

.....<u>आवेदक / अपीलार्थी ।</u>

:: <u>बनाम</u> ::

- श्रीमित रूकमणी पित गोविंद, उम्र ४८ वर्ष, निवासी गाताखेडा रैयत तहसील घोडाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.)।
- गंगाराम यादव पिता दौलत यादव, उम्र 44 वर्ष, निवासी ग्राम मोरडोंगरी पोस्ट थाना सारणी जिला बैतूल (म.प्र.)।
- कलावती यादव पति श्री रामाधार यादव, निवासी ग्राम राजेगांव पो. थाना सारणी जिला बैतूल (म.प्र.)।
- 4. म.प्र.शासन व्दारा कलेक्टर , बैतूल म.प्र.। अनावेदकगण/प्रतिवादीगण

आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1(ग) व 2 सहपठित धारा—151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता।

ः आदेशः

(आज दिनॉक : 11-05- 2018 को खुले न्यायालय में पारित)

- 01. इस आदेश के द्वारा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1(ग) व 2 सहपठित धारा—151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुति दिनांक—23.06.2017 जिस पर आई.ए.क.—1 अंकित किया गया , का निराकरण किया जा रहा है।
- 02. प्रकरण में यह तथ्य अविवादित है कि ग्राम मोरडोंगरी स्थित भूमि सर्वे क्र.69/2 रकबा 2.246 हे. भूमि नर्मदी बाई की थी। नर्मदी बाई ने उक्त भूमि अपीलार्थी रामाधार तथा उसकी पत्नी कलावती गैर अपीलार्थी को दी थी। इसके अतिरिक्त प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण स्वीकृत व अविवादित तथ्यों का अभाव है।
- अपीलार्थी / आवेदक का आवेदन संक्षेप में यह है कि ग्राम 3. मोरडोंगरी स्थित भूमि सर्वे क्र.69/2 रकबा 2.246 हे. भूमि नर्मदी बाई की थी। अपीलार्थी की मां की मृत्यू हो गई तथा नर्मदी की कोई संतान नहीं थी इसलिए नर्मदीबाई व्दारा अपीलार्थी रामाधार का पालन पोषण किया। गैर अपीलार्थी कलावती का अपीलार्थी से विवाह होने के पूर्व उसका पहले रामगोपाल यादव से विवाह किया था। रामगोपाल से कलावती को कोई संतान नहीं होने पर उसने कलावती को भगा दिया। इसके पश्चात भंगू नामक व्यक्ति ने कलावती को अपनी पत्नी बनाकर 4-5 वर्ष तक रखा। इसके बाद भंगू ने भी कलावती को भगा दिया। इसके बाद गोविंद नामक व्यक्ति के साथ कलावती पत्नीवत जीवन यापन कर रही है। अपीलार्थी रामाधार का विवाह राधाबाई के साथ हिन्दू जाति रीति रिवाज अनुसार हुआ उससे राधाबाई को 05 संताने हुई। नरबदीबाई के साथ गैर अपीलार्थी रहती थी नरबदीबाई के जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा रहा वर्तमान में भी है परंत् गैरअपीलार्थी कलावती ने वादग्रस्त भूमि का तहसीलदार से विभाजन कराए बिना अपीलार्थी के आधिपत्य की वादग्रस्त भूमि विक्रय कर दी, जबकि वादी/अपीलार्थी प्रतिवादी / गैरअपीलार्थी कलावती के बीच पंचो के बीच यह आपसी राजीनामा हुआ था कि वादी रामाधार से, प्रतिवादी कलावती को भरण–पोषण के रूप में एकमुश्त चार लाख रूपए प्राप्त कर प्रकरण वापस ले लेगी तथा भविष्य में कोई प्रकरण नहीं लगाएगी व वादग्रस्त भूमि में से अपना नाम कटवा लेगी।

इसके बावजूद प्रतिवादी कलावती ने समझौते का उल्लंघन करते हुए बटवारा कराए बिना भूमि विकय कर दी। वादग्रस्त भूमि पर वादी/अपीलार्थी का आधिपत्य है। प्रतिवादीगण ने दिनांक—26.05.2017 को वादी को वादग्रस्त भूमि से बेकब्जा करने का प्रयास किया जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक को की है, किंतु पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। गैरअपीलार्थीगण, अपीलार्थी को लगातार धमकी दे रहे है कि वादग्रस्त जमीन पर फसल बोवेंगे यदि उनके व्दारा बलपूर्वक फसल बो दी जाती है तो वादी/अपीलार्थी को अपूरणीय क्षति होगी तथा बहुवाद में उलझना पड़ेगा। अपीलार्थी का प्रकरण दृष्टया सुनवाई योग्य है। सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है। उक्त आधारो पर अपीलार्थी ने गैरअपीलार्थी के विरुद्ध वादग्रस्त भूमि पर हस्तक्षेप कर उसे बेकब्जा करने से रोकने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है।

गैरअपीलार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम मोरडोंगरी सर्वे नं.69 / 2 रकबा 2.246 हे.नर्मदीबाई की थी उसको अपीलार्थी एवं गैर अपीलार्थी क्र.3 को बराबर भूमि दी थी। अपीलार्थी ने यह असत्य कहा है कि गैर अपीलार्थी ने अन्य से विवाह किया। वास्तविकता यह है कि गैरअपीलार्थी कलावती, अपीलार्थी रामाधार की विवाहिता पत्नी है उसे कोई संतान नहीं होने के कारण अपीलार्थी ने राधाबाई से दूसरी शादी करवाई थी जिससे उसकी पांच पुत्र पुत्रियाँ है। राधाबाई से विवाह के पश्चात अपीलार्थी ने गैरअपीलार्थी को घर से निकाल दिया। नर्मदीबाई ने उसके जीवनकाल में अपीलार्थी रामाधार को तथा गैरअपीलार्थी कलावती के मध्य भूमि का बराबर –बराबर हिस्सा कर दिया था. वे अपने अपने हिस्से पर काबिज रहे है। गैर अपीलार्थी कलावती ने उसके कब्जे की भूमि, गैर अपीलार्थी क्र.1 रूकमणि तथा गैर अपीलार्थी क्र.2 गंगाराम को विक्रय की है। अपीलार्थी ने कभी भी गैर अपीलार्थी को भरण-पोषण राशि नहीं दी। गैर अपीलार्थी कलावती ने भरण पोषण हेत् न्यायालय में आवेदन दिया था, न्यायालय ने 9,00रू. प्रतिमाह की दर से गैरअपीलार्थी कलावती को देने हेतू अपीलार्थी को निर्देशित किया। इसके बावजूद अपीलार्थी ने आज दिनांक कोई भरण पोषण राशि अदा नहीं की। गैर अपीलार्थी क्र.-2 गंगाराम ने भूमि क्य करने के पश्चात उस पर मकान बना लिया तथा भूमि क्रय करने के पश्चात से गैर अपीलार्थी क्र.-1 उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। वादग्रस्त भूमि गैर अपीलार्थीगण के कब्जे में है। वादी / अपीलार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं है। सुविधा का संतुलन भी

उसके पक्ष में नहीं है। उक्त आधार पर प्रकरण निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

- 5. अपीलार्थी रामाधार ने अपने आवेदन के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों का औपचारिक समर्थन किया है तथा अपीलार्थी की ओर से पुलिस अधीक्षक को प्रेषित शिकायत आवेदन दिनांक—26.05.2017 की प्रति तथा जनसुनवाई में प्रस्तुत आवेदन की प्रति बाबत दस्तावेज प्रस्तुत किए है तथा। गैर अपीलार्थी ने अपने जवाब के समर्थन में चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 व्दारा व्य.वा.क. 61ए/10 कलावती वि. रामाधार वगैरह में पारित निर्णय दिनांक—13.12.2010 की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा फोटोग्राफस आदि प्रस्तुत किए है।
- 6. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन के निराकरण के लिए विचारणीय बिंदु निम्नलिखित है:—
 - (1)-प्रथम दृष्टया प्रकरण,
 - (2)-सुविधा का संतुलन,
 - (3)-अपूरणीय क्षति।

-: विचारणीय प्रश्न क्र.1 से 3 का निराकरण :-

- 7. अपीलार्थी ने अपने आवेदन के संबंध में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर उसमें उल्लेखित तथ्यों का समर्थन किया हैं। अपीलार्थी ने यह अपील व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैतूल व्दारा व्य.वा.क. 63अ/14 रामाधार वि. रूकमणि वगैरह में पारित निर्णय दिनांक—01.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अपीलार्थी व्दारा व्य.वाद क्र.—63अ/14 प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र. 69/1 रकबा 0.405 हे. व 0.202 हे. के संबंध में गैर अपीलार्थी व्दारा निष्पादित विक्य पत्र दि.07.05.2014 को अवैध घोषित कराए जाने की सहायता तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप किए जाने से रोकने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा चाही। निर्णय दिनांक 01.05.2017 अनुसार उक्त वाद में वादी को कोई सहायता प्रदान नहीं की गई तथा उसकी ओर से प्रस्तुत उक्त व्यवहार वाद निरस्त हुआ है, जिसके विरूद्ध वादी/अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की है।
- 8. अपीलार्थी ने वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र. 69/1 रकबा 2.246 हे. पर स्वयं का आधिपत्य होना कहा है परंतु भूमि सर्वे नं. 69/1 में से 0.405 हे. भूमि विकय पत्र दि.07.05.2014 अनुसार कलावती व्दारा/गैर अपीलार्थी रूकमणि को

विकय की जा चुकी है तथा उक्त दिनांक 07.05.14 को ही भूमि सर्वे क्र.69/1 में 0.202 हे. भूमि गंगाराम गैर अपीलार्थी क्र.2 को कलावती व्दारा विकय कर दी गई है। गैर अपीलार्थी रूकमणि,गंगाराम द्वारा दिनांक—07.05.2014 के विकय पत्र के माध्यम से उक्तानुसार भूमि क्रय करने के पश्चात से भूमि पर उनका आधिपत्य होना गैरअपीलार्थी ने कहा है। इस प्रकरण में अपीलार्थी व्दारा ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जिससे यह प्रकट हो कि वादग्रस्त भूमि अर्थात जो भूमि कलावती व्दारा रूकमणि व गंगाराम को विक्रय की है उस पर वादी/अपीलार्थी का आधिपत्य हो।

- 9. अपीलार्थी की ओर से उसकी पत्नी राधाबाई व्दारा पुलिस अधीक्षक बैतूल को की गई शिकायत दिनांक 26.05.2017 की प्रति भी अभिलेख पर है। उक्त दस्तावेज में गैर अपीलार्थी पक्ष व्दारा आवेदक रामाधार की पत्नी राधाबाई की भूमि पर शाम 5—6 बजे ट्रेक्टर लेकर आने व कब्जा करने का प्रयास करने का उल्लेख किया है। परंतु उक्त तथाकथित घटना किस दिनांक की है इस संबंध में उक्त आवेदन में उल्लेख नहीं है तथा किस सर्वे क्र.
- की भूमि पर गैरअपीलार्थी व्दारा हस्तक्षेप करने का प्रयास किया इस संबंध में उल्लेख नहीं है।
- 10. अपीलार्थी पक्ष ने अपने समर्थन में व्य. वा.क.61ए/2010 कलावती वि.रामाधार वगैरह में पारित निर्णय दिनांक—13.12.2010की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है। उक्त निर्णयानुसार कलावती की ओर से प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से आज्ञप्त किया तथा भूमि सर्वे क्र.69/1 रकबा 1.903 हे. में से 15 डिसमिल एवं 0.405 हे. भूमि के अतिरिक्त शेष भूमि में से 1/2 भाग का बटवारा कराकर कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी कलावती है, इस बाबत उसके पक्ष में निर्णित किया। इस प्रकार उक्त निर्णय भी कलावती के पक्ष में ही हुआ है। उक्त दस्तावेज के माध्यम से अपीलार्थी की ओर से यह तर्क किया गया कि उक्त व्य.वा.क.—61ए/2010 में न्यायालय ने भूमि पर रामाधार का आधिपत्य पाया था, परंतु इस प्रकरण में जो भूमि कलावती व्दारा रूकमणि व गंगाधर को विक्रय पत्र दिनांक—07.05.2014 के विक्रय की गई, उक्त भूमि पर वर्तमान में अपीलार्थी का आधिपत्य हो ऐसा दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है।
- 11. उपरोक्तानुसार अपीलार्थी यह तथ्य प्रमाणित नहीं कर सका कि वादग्रस्त भूमि पर उसका आधिपत्य है, इसके अभाव में गैर अपीलार्थीगण के किसी कृत्य से अपीलार्थी को कोई अपूरणीय क्षति होने का तथ्य भी प्रमाणित नहीं हुआ है तथा सुविधा का सतुंलन भी अपीलार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं

होता है। इस प्रकार अपीलार्थी गैरअपीलार्थी क्र. 1 से 3 के विरूद्ध अपना पक्ष प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः उसकी ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 39 नियम 1(ग) व 2 सहपठित धारा—151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनॉकित कर पारित किया गया।

> हस्ताक्षर / – (कमलेश इटावदिया)

प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.)

बैतूल,

दिनॉक: 11 / 05 / 2018

मेरे निर्देश पर टंकित किया।
हस्ताक्षर/—
(कमलेश इटावदिया)
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,
बैतूल (म.प्र.)